प्रेस नोट दिनांक 09.08.2019 थाना बाह/साइबर सेल जनपद आगरा।

थाना बाह पुलिस एवं साईबर सेल टीम द्वारा धोखाधड़ी करने वाले शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

वादी श्री राम दिनेश पुत्र ताले सिंह यादव निवासी कालिन्जर थाना बाह आगरा का कुछ दिनों पूर्व बैंक में रजिस्टर मोबाइल नम्बर चोरी हो गया था। उसी नम्बर का इस्तेमाल कर आरोपी ने अपने मोबाइल फोन पर यू0पी0आई0 एप डाउनलोड कर वादी के खाते से रूपये 32,000/–निकाल लिये थे, जिसके सम्बंध में वादी उपरोक्त के द्वारा थाने पर लिखित सूचना दी कि दिनांक 18.06.2019 से 24.06.2019 के मध्य भारतीय स्टेट बैंक शारखा बटेश्वर में संचालित बचत खाते से अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखाधडी कर फर्जी तरीके से 32,000/– रूपये निकाल लिए हैं। जिस आधार पर मु0अ0सं0 251/19 धारा 420 भा.द.वि. व धारा 66 डी आई.टी. एक्ट पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्वी व क्षेत्राधिकारी बाह के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी साइबर सेल व थाना प्रभारी बाह के नेतृत्व में संयुक्त टीम का गठन किया गया।

इसी क्रम में गठित सयुक्त पुलिस टीम द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य को एकत्रित कर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त अरविन्द पुत्र महाराज सिंह निवासी फरैरा होलीपुरा थाना बाह जनपद आगरा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा ही धोखाधड़ी करके वादी के खाते से अपने खाते में ₹32,000 ट्रांसफर कर लिए गए।

इस संबंध में इस तरह की धोखाधड़ी करके बैंक खाते से पैसा निकालने की काफी घटनाएं घटित हो रही हैं अपराधियों द्वारा सीधे–साधे व्यक्तियों के खाते से उनकी मेहनत की कमाई का पैसा निकाल कर आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। इस संबंध में प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होने की आवश्यकता है।

- **पुलिस टीम द्वारा दिये गये सुझाव :–**

01. जब भी किसी व्यक्ति का मोबाइल फोन खो जाता है तो उसकी तुरंत सूचना पुलिस स्टेशन में देनी चाहिए।
02. अपने मोबाइल पर आए ओ.टी.पी./सी.वी.सी. नंबर किसी को ना बताएं।
03. किसी लॉटरी व लुभावने ऑफर आदि की आई सूचना पर गौर ना करें।
04. अपना एटीएम प्रयोग करते समय किसी अनजान व्यक्ति की सहायता ना लें।
05. आपका एटीएम कार्ड छल पूर्वक लोन किया जा सकता है अगर किसी एटीएम पर कोई संदिग्ध व्यक्ति को घूमता दिखाई दे तो उस एटीएम का इस्तेमाल ना करें तथा उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें।
06. एटीएम के अंदर अपना पिन डालते समय यह सुनिश्चित कर लें कि उसको कोई अनजान व्यक्ति ना देखें।
07. कोई व्यक्ति कॉल करके बैंक या पुलिस थाने से बोलने की बात कहकर आपके खाते व एटीएम कार्ड के संबंध में पिन या कोई गोपनीय सूचना प्राप्त करता है या एटीएम कार्ड खाता बंद होने कि कह कर आप के खाते का गोपनीय जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उसको किसी प्रकार की जानकारी ना दें।
08. किसी रिश्तेदार व परिचित को अपना पिन बताकर अपना एटीएम कार्ड इस्तेमाल करने को ना दें।
09. इस संबंध में बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को अपराधियों के हाथों में जाने से रोका जा सके।

- **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–**

01. अरविन्द पुत्र महाराज सिंह निवासी फरैरा होलीपुरा थाना बाह जनपद आगरा।

- **बरामदगी का विवरण :–**

01. **रू0 2,000/–नकद व एक अदद मोबाइल फोन।**

- **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :–**

01. प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार पाण्डेय थाना बाह जनपद आगरा।
02. उ0नि0 अमित कुमार प्रभारी साइबर सेल जनपद आगरा।
03. उ0नि0 जय कुमार सरोहा थाना बाह जनपद आगरा।
04. कां0 2026 जितेन्द्र, कां0 3548 शैलेन्द्र पाल सिंह थाना बाह जनपद आगरा।
05. कां0 विजय कुमार, कां0 बबलू, कां0 इन्तजार सिंह, कां0 जितेन्द्र कुमार साइबर सेल जनपद आगरा।

<u>मीडिया सेल जनपद आगरा।</u>